76

नि०प्र०-5648/2018/ सिंगरौली/भू-रा०

न्यायालय श्रीमान् माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा
जिला रीवा म0प्र0

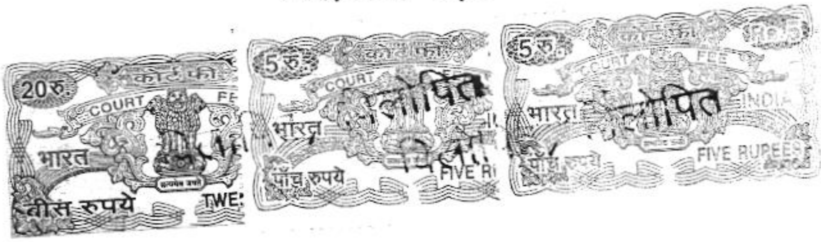

(1) वीरेन्द्र पटेल तनय रघुनाथ पटेल

(2) सुरेन्द्र कुमार पटेल पिता रघुनाथ पटेल

(3) बुनाऊ देवी पत्नी स्व0 रघुनाथ पटेल

सभी निवासी ग्राम बिहरा एवं गहिलरा तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0

===== [illegible] निगरानीकर्तागण

अना. श्री कमला कुमार साहू द्वारा पेश। 14.9.18

बनाम

(1) कन्हैयालाल सोनी तनय अक्षयवटनाथ सोनी

(2) प्रमोद कुमार सोनी तनय अक्षयवटनाथ सोनी

(3) विनोद कुमार सोनी तनय अक्षयवटनाथ सोनी

(4) बुद्धसेन सोनी तनय अक्षयवटनाथ सोनी

सभी निवासी ग्राम व0 गहिलरा तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0

—— गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी महोदय सिंगरौली तहसील व जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 14/अपील/2002-03 आदेश दिनांक- 8/10/16

===

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू0 रा0 सं0 1959 ई0.

===

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

01:- यहकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि, प्रक्रिया व प्राकृतिक न्यायसिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि आराजी खसरा क्रमांक- 281 रकबा 0.72 हे0 एवं आराजी खसरा क्र0 282

क्रमश:2..पर

(76)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5648 - निगरानी / 18 जिला सिंगरौली

वीरेन्द्र पटेल व अन्य विरूद्ध कन्हैया लाल सोनी

1	2	3
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री अरुण कुमार साहू अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी.तहसील सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 14/अपील/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 8-10-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 6-3-19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	